आवश्यक

संख्या:39/2020/1930/12-2-2020-309/2007

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2020

विषय: राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर बोई गई फसलों के उत्पादन आंकलन हेतु क्राप कटिंग कार्यक्रम का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 4550/12-2-2006 दिनांक 06 सितम्बर, 2006 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर उत्पादन के आंकलन हेतु क्राप कटिंग कमेटी के गठन के संदर्भ में कतिपय दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे पुन: यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में निर्गत निर्देशों में प्रदेश के समस्त राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों पर बोई गई फसलों के यथार्थ उत्पादन आंकलन हेतु क्राप कटिंग समितियों में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए क्राप कटिंग समिति का गठन कर क्राप कटिंग कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि प्रक्षेत्रों के उत्पादन के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

(1) जनपद के समस्त प्रक्षेत्रों, जिनमें शोध प्रक्षेत्र एवं कृषि विद्यालय प्रक्षेत्र भी सम्मिलित होंगे, पर क्राप कटिंग मण्डल के किसी दूसरे जनपद के उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा कराया जायेगा। कमेटी के अन्य सदस्य संबंधित जनपद के जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, भूमि संरंक्षण अधिकारी के साथ ही संबंधित तहसील के तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार एवं संबंधित प्रक्षेत्र अधीक्षक होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) राजकीय ऊसर सुधार प्रक्षेत्रों पर फसलों की क्राप कटिंग निदेशालय स्तर से क्राप कटिंग समिति गठित की जायेगी, जिसमें अध्यक्ष संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक तथा सदस्य के रूप में श्रेणी-2 स्तर के अधिकारी होंगे तथा संबंधित प्रक्षेत्र के प्रक्षेत्र प्रबंधक एवं प्रक्षेत्र अधीक्षक श्रेणी-2 एवं खण्ड प्रभारी सदस्य के रूप में नामित होंगे तथा संबंधित जनपद के तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार सदस्य के रूप में नामित किए जायेंगे।

(3) कमेटी के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों की उपस्थित में ही क्राप कटिंग सम्पन्न की जाय। वैकल्पिक व्यवस्था/अनुपस्थिति अक्षम्य होगी।

(4) प्रक्षेत्र पर फसल में समानता की दशा में 4 हैक्टेयर पर एक क्राप कटिंग कराई जाये। फसल असमानता की दशा में 2-3 क्राप कटिंग कराई जाये।

(5) क्राप कटिंग समिति संबंधित प्रक्षेत्र अधीक्षक/नियंत्रक अधिकारी से इस बात का प्रमाण पत्र लेते हुए कि फसल में कृषि निवेशों का संस्तुत मात्रा में प्रयोग किया गया है तथा समस्त कार्य मानकों के अनुरूप किए गए हैं, प्रक्षेत्र पर उस प्रजाति की विगत 10 वर्षो में प्राप्त अधिकतम उत्पादकता से कम उत्पादकता प्राप्त होने के कारणों का आंकलन करेगी।

(6) प्रक्षेत्र की उत्पादकता संबंधित जनपद की औसत उत्पादकता से कम उत्पादकता मान्य नहीं होगी। यदि किन्ही कारणों से उत्पादकता कम होती है तो साक्ष्य सहित उत्पादकता कम प्राप्त होने का कारण क्राप कटिंग परिणाम में अंकित किया जाये।

(7) क्राप कटिंग समिति क्राप कटिंग विवरण में विगत वर्षो में प्राप्त अधिकतम उत्पादन फसल के बोने के दिनांक तथा विभिन्न अवस्थाओं पर अधिकारियों द्वारा फसल में किए गए निरीक्षण में अंकित टिप्पणी का स्पष्ट उल्लेख करते हुए यह आंकलन करेगी कि प्रक्षेत्र अधीक्षक/खण्ड प्रभारी तथा नियंत्रक अधिकारी के स्तर पर शिथिलता फसल उत्पादन में हुई क्षति हेतु किस सीमा तक उत्तरदायी है।

(8) प्रक्षेत्रों पर प्राप्त क्राप कटिंग परिणाम में उपरोक्त तथ्यों को अंकित करते हुए समिति क्राप कटिंग कराने की तिथि के अगले दिन विवरण की एक प्रति बीज एवं प्रक्षेत्र अनुभाग, कृषि निदेशालय को सीधे एवं एक प्रति मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेगी।

(9) मण्डल स्तर से प्रक्षेत्रवार क्राप कटिंग विवरण प्रक्षेत्र के क्रियान्वित शस्य योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अनुरूप संकलित कर अपनी आख्या के साथ निदेशालय को प्रेषित की जाय।

(10) प्रक्षेत्र पर क्राप कटिंग से प्राप्त उत्पादकता/उत्पादन से वास्तविक उत्पादन में कमी प्राप्त होने पर दोषी प्रक्षेत्र अधीक्षक/खण्ड प्रभारी के विरूद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्षति हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उनके विरूद्ध वसूली संबंधी कार्यवाही सक्षम अधिकारी से दो माह के अन्दर पूर्ण करायें तथा नियंत्रक अधिकारी के विरूद्ध क्षति हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण कर उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:39/2020/1930/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त प्रक्षेत्र प्रबंधक/प्रक्षेत्र अधीक्षक, श्रेणी-2 द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।